का॰ज्ञा॰सं॰ 14012/11/87-रा॰भा॰(ग), दिनांक 23 मार्च, 1988

विषय: केंद्रीय सरकार की सेवाओं में अथवा पदों पर पदोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प।

इस विभाग के 21 सितम्बर, 1987 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी मंत्रालयों तथा विभागों को केंद्रीय सरकार का यह निर्णय सूचित किया गया था कि केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में स्थित हों, सभी सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में, जिनमें अखिल भारतीय स्तर पर ली जाने वाली परीक्षाएं भी शामिल हैं, अभ्यार्थियों को इस बात की छूट दी जाए कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी तथा अंग्रेजी में दे सकते हैं। इन परीक्षाओं में सभी प्रश्न पत्रों को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए और जहां साक्षात्कार ली जानी अपेक्षित हो, वहां अभ्यार्थियों को पूछे गए प्रश्नों का हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए। इसी परिपत्र में बताया गया था कि ये निदेश केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन निगमों, उपक्रमों तथा बैंकों पर भी लागू होंगे।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से अनुरोध किया गया था कि उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निदेश सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ला दें और उनसे अनुरोध करें कि भविष्य में जो भी परीक्षाएं ली जाती है उनमें हिंदी का विकल्प दिया जाए। इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निदेशों के आधर पर सभी मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, निगमों तथा बैंकों आदि को यह सूचित किया जाना अपेक्षित था कि उनमें भी सरकार के इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अत: अनुरोध है कि इस विभाग को यह जानकारी भेजने की कृपा करें कि वित्त मंत्रालय, आदि ने अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए हैं और केंद्रीय सरकार के सभी निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि से भी इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए गए हैं।